<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99</u>

## भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-08082025-265315 SG-DL-E-08082025-265315

## असाधारण EXTRAORDINARY

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229] दिल्ली, बुधवार, अगस्त 6, 2025/श्रावण 15, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 163 No. 229] DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 6, 2025/SHRAVANA 15, 1947 [N. C. T. D. No. 163

## भाग IV PART IV

# राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

# अधिसूचना

दिल्ली, 6 अगस्त, 2025

फा. सं. 1/02/2025—न्यायिक/अधी0वि0/1406—1408—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22ए के खंड (ख) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में तथा कार्यकारी अध्यक्ष, दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अनुशंसा के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से सार्वजनिक हित में निम्नलिखित सेवाओं को सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं घोषित करते हैं, अर्थात:—

- (i) बैंकिंग सेवा
- (ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की सेवा
- (iii) गैस सेवा की आपूर्ति

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रितेश सिंह, प्रधान सचिव

5272 DG/2025 (1)

## DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

## **NOTIFICATION**

Delhi, the 6th August, 2025

- **F. No. 1/02/2025-Judl./Suptlaw/1406-1408**—In pursuance of the provisions contained in clause (b) of Section 22A of the Legal Services Authorities Act, 1987 and pursuant to the recommendation of the Executive Chairman, Delhi State Legal Services Authority, the Lt. Governor, NCT of Delhi is pleased to declare the following services to be Public Utility Services in the public interest with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-
  - (i) Banking service
  - (ii) Service of non-banking financial companies (NBFCs)
  - (iii) Supply of Gas service

By Order and in the Name of the Lt. Governor of NCT of Delhi,

REETESH SINGH, Principal Secy.